ऋण सह अनुदान आवास कार्यक्रम

यह योजना ऐसे सभी ग्रामीण परिवार, जिनकी वार्षिक आय रु० 32000/- से ज्यादा नहीं है के लिए लागू की गई है। योजनान्तर्गत अनुदान की 75% धनराशि केन्द्र सरकार तथा 25% राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

लक्ष्य समूह : योजनान्तर्गत लक्षित समूह अनु० जा०/जनजातियों के व्यक्ति, मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रु० 32,000/- मात्र से अधिक न हो के आवास विहीन परिवार पात्र होगें। परन्तु गैर अनु0 जाति0/जनजातियों के आवास विहीन लाभार्थियों की संख्या कुल लाभार्थियों की संख्या से 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् कम से कम 60% धनराशि अनु0 जाति/जन जाति एवं मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के आवास निर्माण के लिए होगी।

लक्षित क्षेत्र : योजना को उन ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जो महानगरों और बड़े कस्बों से 20 किमी० की दूरी पर हो और छोटे तथा मध्यम कस्बों से 5 किमी० की दूरी पर हों।

पात्रता : योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रु० 32,000/- से अधिक न हो तथा परिवार के किसी सदस्य को किसी अन्य आवासीय योजनान्तर्गत लाभान्वित न किया गया हो, इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे। योजना के लिए किसी भी परिवार के एक वयस्क सदस्य से अधिक का चयन नहीं किया जायगा। मृत सैनिकों/भूतपूर्व सेवा निवृत्त सैनिकों को बिना आय सीमा की बाधा के आवास आवंटित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। लाभार्थियों का चयन गाँव सभा की खुली बैठक में किया जायेगा।

लागत मूल्य : योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु प्रति आवास कुल रु० 40,000/- लागत निर्धारित किया गया है जिसमें रु० 30,000/- ऋण एवं रु० 10,000/- अनुदान दिया जायेगा।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता स्वयं जाँचें

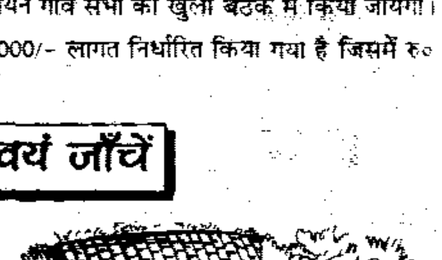

पंचायतों व विकास विभाग द्वारा जनपद भर में अनेक निर्माण कार्य जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, पूर्वांचल विकास निधि, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, दशम, वित्त आयोग आदि योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाते हैं। अक्सर ही इन कार्यों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। आम जनता व जागरुक नागरिकों का उत्तरदायित्व है कि वे स्वयं भी इन कार्यों की गुणवत्ता जाँचें एवं सही न पाये जाने पर उच्च अधिकारियों को शिकायत करें। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुये यहाँ हम छोटी-छोटी जाँच तरकीबें प्रकाशित कर रहे हैं—

खड़ंजा मार्ग : खड़ंजा मार्ग के निर्माण में प्रथम श्रेणी की सही आकार की ज्यादा पकी हुई गेरुआ रंग की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। यदि दो ईंटों को आपस में टकराया जाए तो इसमें से धातुनुमा ध्वनि निकलती है। इन ईंटों को लगभग एक मीटर की ऊँचाई से गिराने पर ये न तो चटकती है और न ही टूटती है। एक वर्ग मीटर खड़ंजा बिछाने में कुल 59 ईंटों का प्रयोग किया जाता है। खड़ंजा मार्ग की चौड़ाई 3.30 मीटर पटरी होनी चाहिए ताकि ईंटें मिट्टी के सहारे टिकी रहे तथा वाहनों के आवागमन में भी कोई बाधा न उत्पन्न हो। खड़ंजा बिछाने का कार्य सड़क पर पड़ी मिट्टी के ठोस हो जाने के उपरान्त ही किया जाता है। ईंटों को बिछा देने के बाद ईंटों के बीच की दरारों को स्थानीय मिट्टी द्वारा भर दिया जाता है। मार्ग बीच में हलका उठा हुआ तथा किनारों पर ढलुआ बनाया जाता है ताकि वर्षा के दिनों में मार्ग पर जल-जमाव न हो।

नालियों का निर्माण : मार्ग के प्रति किमी० लम्बाई में कम से कम दो पुलियों का प्राविधान किया जाता है। पुलिया सामान्यतः ह्यम पाइपों की ही बनायी जाती है। आवश्यकतानुसार नालों पर आर.सी.सी. पुलिया भी बनायी जा सकती है। पुलियों के निर्माण में 600 मिलीमीटर 900 मि०मी० तथा 1200 मि०मी० व्यास के एन०पी०-2 ह्यम पाइपों का प्रयोग किया जाता है। पुलिया के निर्माण में जहाँ पाइप रखा जाना है वहाँ 30 सेमी० मोटाई में चूना, सुर्खी एवं ईंट की रोड़ी 1:2:6 अनुपात में अथवा कंक्रीट 1:4:8 के अनुपात में बिछाकर कुटाई की जाती है। पाइप के दोनों किनारों पर 'पैरावेट वाल' ईंट की चिनाई की बनाई जाती है ताकि पाइपों को स्थायित्व प्राप्त हो। एक पुलिया के